have been selected to qualify for assistance under this scheme.

Besides the concessional finance scheme, Investment Subsidy at the rate of 15 per cent of the fixed capital investment of new units and additional investment by the existing units undertaking substantial expansion (subject to a maximum of Rs. 15 lakhs) is also being provided to selected backward districts. 101 districts/areas are covered by this subsidy schemes.

Small Scale units qualifying for the grant of subsidy are also accorded (a) preference for imports of raw materials, machinery and components and (b) priority in the supply of machines on hire-purchase by the National Small Industries Corporation.

Under the Central Scheme of transport subsidy, 50 per cent of transport cost from the nearest rail head of raw materials as well as finished products for all new industrial units is given as subsidy in the selected hill areas.

(7) *The National Programme of Minimum Needs*:

This programme seeks to provide a minimum of social consumption and infrastructure development to different areas and sections of the community in the whole country. The priority and preferential treatment accorded to this programme for backward areas in the national context is reflected in certain relaxed norms applied to certain specific types of backward classes and backward areas in the country. For instance, Rural Electrification Corporation has made various relaxations in backward areas, hills areas, desert and tribal areas in regard to viability norms as well as more liberal conditions with regard to terms of loan payment.

गांवों के उत्थान के लिए योजना

469. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गांवों के उत्थान को प्राथमिकता देते हुए कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा): (क) ग्रामीण विकास के लिए अब तक किए गए उपायों और भविष्य में अपनाई जाने वाली नीति का सरकार द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) अध्ययन के बाद इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

देश में बिजली की कमी

470. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से बिजली की कमी के समाचार प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश के किन भागों में बिजली का यह संकट है; और

(ग) इस संकट से निपटने के लिये सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाये हैं तथा उनका क्या परिणाम निकला ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० राम चन्द्रन): (क) जी, हां ।

(ख) इस समय निम्नलिखित राज्यों में बिजली की भारी कमी है :—

(1) उत्तर प्रदेश

(2) आन्ध्र प्रदेश

(3) तमिल नाडु

(4) कर्नाटक

(5) महाराष्ट्र

(6) पश्चिम बंगाल

इससे पूर्व मई, 1977 में पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र भी इससे प्रभावित थे परन्तु स्थिति अब सुधार गई है ।

(ग) लघुकालीन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) जो यूनिट या तो जबरन बन्दी (फोर्स्ट आउटेज) पर है अथवा जो, आयोजित अनुरक्षणाधीन हैं, उनको पुन: चालू करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड और संबंधित विद्युत केन्द्र जोरों से कार्रवाई कर रहे हैं । संथालडीह का 120 मैगावाट की यूनिट, दामोदर घाटी निगम की चन्द्रपुर की 120 मैगावाट की एक यूनिट, बदरपुर की 100 मैगावाट की एक यूनिट जैसी कुछ यूनिटों को अभी हाल में पुन: चालू कर दिया गया है । बदरपुर की 100 मैगावाट की एक और यूनिट तथा एन्नौर में 100 मैगावाट की एक यूनिट निकट भविष्य में पुन: चालू किए जाने की आशा है ।

(2) वर्तमान विद्युत केन्द्रों से यथा संभव अधिकतम विद्युत उत्पादन किया जा रहा है ।

(3) जहां भी अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्त: क्षेत्रीय पारेषण लाइनों के जरिए अधिकता वाले राज्यों में कमी वाले राज्यों को बिजली का अन्तरण संभव है, वहां इस प्रकार का विनियम करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं ।

(4) भारत सरकार द्वारा सूचित क्रमबद्ध प्राथमिकताओं के अनुसार विद्युत खपत की राशनिंग शुरू कर दी गई है ।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में :—

(1) जिन यूनिटों को पहले स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें शीघ्रता से चालू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

(2) बिजली की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

Duty hours of Staff in D.E.S.U.

471. SHRI YAGYA DATT SHARMA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the duty hours of the staff working in DESU;

(b) whether the staff working in DESU has been forced to work beyond duty hours;

(c) rules under which compensation is to be paid to the staff if asked to work beyond duty hours; and

(d) whether the staff has been paid overtime for working beyond duty hours?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) Duty hours of staff of Delhi Electric Supply Undertaking are as follows:—

(i) Field staff—from 8.00 A.M. to 4.30 P.M. with ½ hour rest.

(ii) Staff working in shifts—8 hours.

(iii) Ministerial staff—10.00 A.M. to 5.00 P.M. with ½ hour break.

(b) No, Sir.

(c) In so far as staff of the power station is concerned, compensation for working beyond duty hours is given under the provisions of Factories Act. In so far as other staff of Delhi Electric Supply Undertaking (except